6/543
08/09/22

6151
08/9

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी, ग्रेटर नोयडा औधोगिक विकास प्राधिकरण
भूखण्ड संख्या–01, सैक्टर नॉलेज पार्क–4
ग्रेटर नोयडा, उत्तर प्रदेश, पिन–201310

**विषयः–सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जानकारी चाहने वावत प्रार्थना पत्र।**

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के नोटिस पत्रांक संख्या–727(502)देवला दिनॉक 28/07/22 अवलोकन करें, जोकि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा–10 के अन्तर्गत नोटिस किये गये है एवं अनुसची–1 मे दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नोयडा औधिगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित स्थित होने के संबध में, अनुसूची–2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण करने तथा समुचित नियोजन अथवा सुविधा जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पडने के संबध में अवगत कराया गया है अतः उल्लेखित संबध में सूचना अ अधिनियम 2005 के अर्न्तगत **ग्रम–देवला, खसरा सख्या–502, तहसील–दादरी, जिला– गोतमबुद्व नगर, उत्तर प्र** संबध में निम्नलिखित सूचना पैरावाईज उपलब्ध करवाने की कृपा करेः–

1. दिनॉक 21.10.2011 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के Judgement अनुसार ग्राम देवला की भूमि का अधिग्रहण रदद जा चुका है, पुनः ग्रम देवला की भूमि का अधिग्रहण किस प्रयोजन हेतु किया जाना है ?

2. श्रीमान तह. महोदय के आदेश दिनॉक 11.09.2013 के कम में न्यायालय उपजिलाधिकारी दादरी के पत्रांक स 865/रीडर–एस0डी0एम0 दादरी/14 दिनॉक 11.09.2013 वाद संख्या–111/12–13 के अनुसार खसरा 502 व को अकृषिक भूमि प्रख्यापित किया जा चुका है फिर उत्तर प्रदेश औधोगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धा के अन्तर्गत नोटिस जारी क्यो किये जा रहे है ?

3. अनुसूची–1 तथा अनुसूची–2 के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र है तो दादरी तहसील में आवासीस स्टॉम्प शुल्क व उक्त भूखण्ड की आवासीय प्लाटों में रजिस्टी/ दाखिलखारिज (Mutation) क्यो की जा रही है, तथा आ स्टाम्प शुल्क अदा न करने पर स्टाम्प चोरी का केश क्यो चलाया जा रहा है ?

4. क्या आपके कार्यालय द्वारा जनता को जागरूक करने हेतु तथा उक्त भूखण्ड की आवसीय प्लॉटो में की ज रजिस्टी/ दाखिलखारिज (Mutation) को रोकने की कारवाई क्यो नहीं की गयी तथा तहसील दादरी में कि प्रकार का नोटिस बोर्ड चस्पा क्यो नहीं किया ?

5. उल्लेखित खसरा संख्या में लगभग पिछले 20 वर्षो से 90प्रतिशत आवादी के द्वारा अपनी जमापूंजी तथा विभिन्न से लोन लेकर गृह निर्माण कराया गया है, गृह निर्माण कार्य को रोकने के संबध में ग्रेटर नोयडा औधोगिक प्राधिकरण के द्वारा 20 वर्षो से अबतक कारवाई क्यो नहीं की गयी ?

6. खसरा संख्या–502 में किये गये गृह निर्माण कार्य से ग्रेटर नोयडा औधोगिक विकास प्राधिकरण के समुचित नि अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितो पर किस प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है एवं पडने की सम्भावना संबध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने की कृपा करें ?

P10 Land
9/9/22

2. अतः महोदय उल्लेखित संबध में अनुरोध है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निर्धारित अ पैरावाईज विस्तृत सूचना/ जानकारी उपलब्ध करवाने की कृपा करें, प्रार्थी आपका अभारी रहेगा।

**संलग्न पोस्टल आर्डर संख्या–**56F 426804 **(10 रूपये मात्र) दिनॉक–**07/09 **सितम्बर 20**
दिनॉकः–07/09/22 **सितम्बर 2022।**

P10 (Land)
271-21609
9-9-22

प्रार्थी

Smt. KIRANDEVI
HOUSE No-8 FIRST Floor B
-B, OMICRON Greater Noida
मोब.:– 9873796073, 88605088O